रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93-I] दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2011/ज्येष्ठ 10, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52
No. 93-I] DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2011/JYAISTHA 10, 1933 [N.C.T.D. No. 52

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग-I/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मई, 2011

सं. फा. 6/02/2011/एचपी-I/स्था./860 से 867.—इस सरकार की दिनांक 24-4-2003 की अधिसूचना संख्या फा. 1/13/2002/एचपी-I/स्था./2006-2010 दिनांक 1-9-2009 की अधिसूचना सं. फा. 1/01/2009/एचपी-I/स्था./2395 तथा दिनांक 3-11-2010 की अधिसूचना सं. फा. 6/71/2010/एचपी-I/स्था./2803-2810 का आंशिक आशोधन करते हुए और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20-3-1974 की अधिसूचना सं. यू. 11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निदेश देते हैं और निम्न प्रकार घोषणा करते हैं :—

क. कि थाना धौला कुआं का थाना साउथ कैम्पस के रूप में पुन: नामकरण किया जाएगा और इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से उप-डिविजन सफदरजंग इन्कलेव के अन्तर्गत होगा;

ख. कि थाना धौला कुआं, दिल्ली छावनी और बसंत विहार के क्षेत्राधिकार से निकाले गए/शामिल किए गए स्थानीय क्षेत्र तथा शामिल निम्न अनुसूची में यथापरिभाषित के रूप में तत्काल आ जाएंगे;

ग. कि थाना साउथ कैम्पस, दिल्ली छावनी और बसंत विहार की संशोधित सीमाएं क्षेत्र संलग्न उप अनुसूची में [illegible]

अनुसूची

थाने का नाम		सीमाएं
साउथ कैम्पस	उत्तर	शान्ति पथ से रेलवे पटरी (रहित) सरदार पटेल मार्ग (रहित), परिवहन कम्पनी और दिल्ली विकास प्राधिकरण पार्क तक
	दक्षिण	राव तुलाराम मार्ग रिंग टी.-प्वाइंट से आउटर रिंग रोड (सहित) रिंग रोड पर आरआर अस्पताल की चार दिवारी तक
	पूर्व	रेलवे पटरी से शान्ति पथ राव तुलाराम मार्ग और आउटर रिंग रोड के टी.-प्वाइंट (दोनों शामिल) तक
	पश्चिम	दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज और साउथ कैम्पस की चार दीवारी (जंगल क्षेत्र रहित) सरदार पटेल मार्ग परिवहन कम्पनी और दिल्ली विकास प्राधिकरण पार्क (सहित) के निकट रेलवे पटरी तक
बसंत विहार	उत्तर	अरविन्दो मार्ग से आउटर रिंग रोड (सहित) राव तुलाराम मार्ग रिंग रोड के टी.-प्वाइंट तक

1		2
	दक्षिण	कुलि कैम्प टी.-प्वाइंट, बाबा गंगनाथ मार्ग, वेदांत देशिका मार्ग और शहीद जीत सिंह मार्ग (सभी शामिल) तक शंकर विहार आर्मी स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से लेकर अधचिनी पर अरविंदो मार्ग पर टी.-प्वाइंट तक
	पूर्व	अधचिनी से अरविन्दो मार्ग आई. आई. टी. फ्लाई ओवर तक
	पश्चिम	राव तुला मार्ग-आउटर रिंग रोड (रहित) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (रहित) पर शंकर विहार आर्मी स्थापना की दक्षिणी चार दीवारी तक
दिल्ली छावनी	उत्तर	ट्रांसपोर्ट कम्पनी के निकट रेलवे पटरी तक
	दक्षिण	नाला (रहित) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और इसकी सर्विस रोड (सहित)
	पूर्व	राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (रहित) पर शंकर विहार स्थापना तक राव तुलाराम मार्ग रिंग रोड (सहित) टी-प्वाइंट तक
	पश्चिम	पालम रेलवे स्टेशन के रेलवे चौराहे के आउटर सिग्नल तक रिवाड़ी रेलवे लाइन के साथ-साथ स्टेशन रोड पर जनक फ्लाईओवर के मध्य तक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय चगती, अतिरिक्त सचिव

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st May, 2011

F. No. 6/02/2011/HP-I/ESTT/860 to 867.—In partial modification of this Government's notifications Nos. F. No. 1/13/2002/HP-I/Estt./2006-2010 dated 24-4-2003, F. No. 1/01/2009/HP-I/Estt./2395, dated 1-9-2009 and F. 6/71/2010/HP-I/Estt./2803 to 2810 dated 3-11-2010 and in exercise of the powers conferred under Section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated 20-3-1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare as under :—

a. That Police Station Dhaula Kuan shall be renamed as Police Station South Campus and shall be placed under sub-division Safdarjung Enclave from the date of issue of this notification;

b. That the local areas which have been excluded/included from the jurisdiction of Police Stations Dhaula Kuan, Delhi Cantt. and Vasant Vihar shall cover the area henceforth as defined in the Schedule given below;

c. That the revised boundaries/jurisdictions of police stations South Campus, Delhi Cantt. and Vasant Vihar shall be as defined in the sub joined Schedule.

SCHEDULE

Name of PS		Boundaries
(1)		(2)
South Campus	North	Railway Track (exclusive) from Shanti Path upto Sardar Patel Marg (exclusive), Transport Company and DDA Park.
	South	Outer Ring Road (inclusive) from Rao Tula Ram Marg -Ring T-point upto the boundary wall of RR Hospital on Ring Road.
	East	Shanti Path from Railway Track upto T-point of Rao Tula Ram Marg and Outer Ring Road (both inclusive).
	West	Boundary wall of DU Colleges and South Campus exclusive of jungle area upto Railway Track near Sardar Patal Marg Transport Company and DDA Park (inclusive).
Vasant Vihar	North	Outer Ring Road (inclusive) from Aurobindo Marg upto T-point Rao Tula Ram Marg-Ring Road.
	South	From NH-8 southern boundary of Shankar Vihar Army establishment upto Coolie Camp T-point, Baba Gang Nath Marg, Vadant Deshika Marg and Shaheed Jeet Singh Marg (all inclusive) upto T-point on Aurobindo Marg at Adhchini.
	East	Aurobindo Marg (exclusive) from Adhchini upto IIT flyover.
	West	Rao Tula Ram Marg-Outer Ring Road (exclusive), upto the southern boundary wall of Shankar Vihar Army establishment on NH-8 (exclusive)

(1)		(2)
Delhi Cantt.	North	Railway Track near Transport Company.
	South	NH-8 and its Service Road (inclusive) upto Nallah (exclusive)
	East	Rao Tula Ram Marg-Ring Road (inclusive) T-point upto Shankar Vihar establishment on NH-8 (exclusive)
	West	Mid of Flyover of Janak Flyover on Station Road along Riwari Railway Line upto Railway crossing outer signal of Palam Railway Station.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy.

विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मई, 2011

सं. एफ. 3/6/लिट/2002/उप-सचिव/विधि/1240-1246.—नौटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 2 के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 10 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नौटरीज नियमावली, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उल्लिखित रजिस्टर से निम्नलिखित नौटरी के नाम को निरस्त करने का आदेश करते हैं।

क्र. सं.	नौटरी का नाम	निरस्त करने का कारण
1.	श्री जगमोहन भाटिया	मृत्यु
2.	श्री पी. पी. सिंह साहनी	मृत्यु
3.	श्री मोहिन्दर नाथ कुराल	स्वेच्छा से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 31st May, 2011

F. No. 3/6/Lit/2002/DS/Law/1240-1246.—In exercise of the powers conferred by Section10 read with clause (g) of Section (2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby orders the removal of the names of the following Notaries from the register maintained under Section 4 of the said Act, with immediate effect :—

Sl. No.	Name of Notaries	Cause of Removal
1.	Sh. Jagmohan Bhatia	Death
2.	Sh. P. P. Singh Sawhney	Death
3.	Sh Mohinder Nath Kural	Unwillingness

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मई, 2011

सं. एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/1026.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू बाम्बे श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953 (बाम्बे अधिनियम 1953 की संख्या 40) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियम, 1997 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/3589 दिनांक 16-11-2010 द्वारा गठित किया गया था, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करते हैं, नाम से :—

1. श्री रमाकान्त गोस्वामी, माननीय श्रम मंत्री, श्री वी. एस. आर्या, उप श्रमायुक्त, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, के स्थान पर, स्वतंत्र सदस्य के रूप में।
2. श्री उमेश शर्मा, प्रकाशक, ईटरनल सोल्यूशन्स पत्रिका, एस-1/ए, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 को नियोक्ताओं के तीसरे प्रतिनिधि के रूप में।
3. श्री आर. एन. वत्स, अधिवक्ता, 94-बी, सुन्दर अपार्टमेंट, बाहरी रिंग रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 को रिक्त स्थान के विरुद्ध बोर्ड के 12वें सदस्य के रूप में।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पीयूष शर्मा, संयुक्त सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st May, 2011

No. F.9(1)/89/DLC/W/1026.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bombay Act No. XL of 1953) as extended to the National Capital Territory of Delhi, read with Rule 12 of the Delhi Labour Welfare Fund Rules, 1997, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following

persons as members of the Delhi Labour Welfare Board constituted *vide* notification No. F. 9(1)/89/DLC/W/3589 dated 16-11-2010 namely :—

1. Sh. Ramakant Goswami, Hon'ble Minister of Labour, in place of Sh. V. S. Arya, Deputy Labour Commissioner who has since resigned, as an Independent member.
2. Sh. Umesh Sharma, Publisher, Eternal Solutions Magazine, S-1/A, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 as the 3rd representative of Employers.
3. Sh. R. N. Vats, Advocate, 94-B, Sunder Apartments, Outer Ring Road, Paschim Vihar, New Delhi-110087 as the 12th member of the Board, against a vacant slot.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PIYUSH SHARMA, Jt. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 31 मई, 2011

सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशो.पीडब्ल्यूडी एक्ट/डीएसडब्ल्यू/09-3176-3186.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 824(अ) के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और भागीदार) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2011 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्राथमिकी

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन नियमावली, 2011 में —

(i) नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किए जायेंगे —

"2. परिभाषाएं.—

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में —

(क) "अधिनियम" का अर्थ दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) से है ।

(ख) "अध्यक्ष" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किये गये अध्यक्ष से है ।

(ग) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है ।

(घ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अंतर्गत उपराज्यपाल से है ।

(ङ.) "उपराज्यपाल" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है ।

(च) "सदस्य" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किसी सदस्य से है ।

(छ) "सदस्य-सचिव" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सदस्य-सचिव से है ।

(ज) "अधिसूचना" का अर्थ राजपत्र में प्रकाशित किसी राजकीय अधिसूचना से है ।

(झ) "निर्धारित" का अर्थ नियमों द्वारा निर्धारित से है ।

(ञ) "नियमों" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों से है ।

(ट) "धारा" का अर्थ अधिनियम के किसी धारा से है ।

(ठ) "विशेष रोजगार केन्द्र" का अर्थ है विशेष [illegible] रोजगार केन्द्र में विशेष कक्ष तथा ऐसा रोजगार केन्द्र जो कि सरकारी गजट में [illegible] रोजगार केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

Annexure 'B'

(ड) "उपाध्यक्ष" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त उपाध्यक्ष से है ।

(ढ) "वर्ष" का अर्थ अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष से है ।

(ण) "प्रमाण-पत्र या नि:शक्तता प्रमाण-पत्र" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (झ) के अंतर्गत जारी किये गये प्रमाण-पत्र से है।

(त) "नाना प्रकार की नि:शक्तता" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (आई) में परिभाषित दो नि:शक्तताओं के मिश्रण से है ।

(थ) "प्रपत्र" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी प्रपत्र से है ।

(2) अधिनियम में परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियां लेकिन इन नियमों में न परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो इस अधिनियम में उन्हें क्रमश: प्रदान किया गया है ।"

(ii) अध्याय-II में निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

"अध्याय-2

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र

3. नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र—

(1) कोई व्यक्ति जो अपना नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहता है, फार्म 6 में प्रार्थना-पत्र जमा करेगा, और प्रार्थना-पत्र के साथ :—

(क) निवास का प्रमाण-पत्र और

(ख) दो हाल में खींचे गये पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, संलग्न करेगा ।

(2) प्रार्थना पत्र निम्नलिखित को जमा करा सकता है :—

(i) प्रार्थी के नाम से उसके निवास, जैसा कि उसके निवास प्रमाण-पत्र में निर्देशित है, के साथ प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के पास, या

(ii) शासकीय अस्पताल के उस चिकित्सा अधिकारी के पास जो कि उस नि:शक्तता का इलाज कर रहे हैं या करते जा रहे हैं :

यदि नि:शक्त व्यक्ति अल्पवयस्क/या मानसिक रुग्णता/विकार से ग्रस्त या अन्य किसी नि:शक्तता के कारण अयोग्य या स्वयं प्रार्थना पत्र लगाने में असमर्थ है, तो वह अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से प्रार्थना-पत्र लगा सकता है ।

4. नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करना.—

(1) चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियम 3 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर चिकित्सा अधिकारी, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 के उप-खण्ड (न) में परिभाषित है, प्रार्थी विकलांग व्यक्ति है, संतुष्ट होने के बाद प्रपत्र VII, VIII और IX के अंतर्गत जैसा कि लागू होता है, विकलांगता प्रमाण-पत्र, जारी किया जा सकेगा ।

(2) चिकित्सा अधिकारी द्वारा नि:शक्त प्रमाण-पत्र, प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर जैसा संभव हो, जारी किया जाएगा, किंतु किसी भी कारण से उपरोक्त तिथि से एक महीने के बाद नहीं ।

(3) उचित जांच के बाद चिकित्सा अधिकारी—

(i) एक निश्चित अवधि के बाद, यदि विकलांगता की मात्रा में कोई परिवर्तन की कोई संभावना न हो, तो स्थायी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र दे सकेगा

(ii) यदि एक निश्चित अवधि के बाद विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो, तब प्रमाण-पत्र में वैधता की अवधि को दर्शाएगा ।

(4) यदि प्रार्थी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो चिकित्सा अधिकारी उसके प्रार्थना-पत्र को रद्द करने के कारण को सपष्ट करेगा और प्रपत्र X में लिखित में उस कारण को बताएगा ।

(5) मुख्य चिकित्सा अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन जारी प्रत्येक नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की प्रति ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी साथ-साथ भेजी जाएगी ।

5. **निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने या इंकार करने के निर्णय की समीक्षा**

(1) निःशक्तता प्रमाण-पत्र के लिए कोई आवेदक जो यथास्थिति, उसको जारी किए गए प्रमाण-पत्र के स्वरूप या उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित है, समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा :

परंतु यह कि जहाँ कोई निःशक्त व्यक्ति अवयस्क हो या मानसिक मंदता से पीड़ित हो अथवा ऐसी किसी निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण वह ऐसा आवेदन देने में अनुपयुक्त अथवा असमर्थ हो तो उसकी ओर से आवेदन उसके विधिक संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(2) समीक्षा के आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र की प्रति या उसके विरुद्ध नामंजूर किए गए पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(3) समीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने पर चिकित्सा प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझता हो ।

(4) जहां तक संभव हो, समीक्षा के लिए आवेदन का आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर निपटान कर दिया जाएगा किन्तु किसी भी स्थिति में, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास से अधिक का विलंब नहीं होगा ।

6. **नियम 4 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र को सभी प्रयोजनों के लिए साधारणतः विधिमान्य बनाया जाना.**—नियम 4 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सुसंगत स्कीमों या सरकार के अनुदेशों, आदि में विनिर्दिष्ट किया जाए, सरकार और सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की स्कीमों के अधीन ग्राह्य सुविधाओं, रियायतों और फायदों के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा ।"

(iii) अध्याय-III में निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

"अध्याय-III

राज्य समन्वय समिति

7. **नामांकित सदस्यों का कार्यकाल.**—अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 2 के खण्ड (च) एवं (ज) के अन्तर्गत नामांकित राज्य समन्वय सदस्य का कोई सदस्य अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा ।

8. **सदस्यता सूची.**—सदस्य सचिव सदस्यों के नाम और पते का अभिलेख रखेंगे ।

9. **पते में परिवर्तन.**—यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है, तो वह सदस्य सचिव को अपना नया पता सूचित करेगा, वह इस पर उनका नया पता सरकारी अभिलेख में दर्ज करेगा, लेकिन यदि वह अपना नया पता सूचित करने में विफल रहता है, तो सभी प्रयोजनों के लिए सरकारी अभिलेख में उल्लिखित पता सदस्य का सही पता मान लिया जाएगा ।

10. **दैनिक भत्ता.**—राज्य समन्वय समिति को गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य समन्वय समिति की वास्तविक बैठकों के दिन के लिए दो सौ पचास रुपये प्रति दिन की दर से भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

11. **बैठकों की सूचना.**—

(1) राज्य समन्वय समिति की बैठकें सामान्यतः अध्यक्ष द्वारा यथानियत तिथियों को अध्यक्ष के कार्यालय में होंगी :
शर्त यह है कि इसकी बैठक कम से कम एक बार प्रति छःमाही होगी ।

(2) राज्य समन्वय समिति के कम से कम दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर चेयरपर्सन राज्य समन्वय समिति की विशेष बैठक बुलाएंगे ।

(3) किसी साधारण बैठक के लिए कम से कम पूरे पंद्रह दिनों का नोटिस और किसी विशेष बैठक के लिए पूरे पांच दिनों का स्पष्ट नोटिस, जिसमें समय और उस स्थान का उल्लेख हो, जिस स्थान पर ऐसी बैठक होनी है और वहां पर होने वाले कार्य का विवरण सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को दिया जाएगा ।

(4) किसी बैठक की सूचना सदस्यों को उनके ज्ञात अन्तिम पते पर संदेशवाहक से उसे भेज कर या पंजीकृत डाक से इसे भेजकर दी जा सकती है या ऐसे अन्य तरीके से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझते हों ।

(5) अध्यक्ष के अपने स्वविवेक से ऐसा करने के लिए उसे अनुमति मिलने तक कोई भी सदस्य उस विषय को बैठक के विचार के लिए तब तक प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा जिसके लिए उसने सदस्य सचिव को पूरे दस दिन की सपष्ट सूचना न दी हो ।

12. **राज्य समन्वय समिति की बैठकों का स्थगन.**—

(क) राज्य समन्वर: समिति अपनी बैठक दैनिक या किसी विशेष दिन के लिए अस्थगित कर सकता है ।

(ख) जहां पर राज्य समन्वय समिति की कोई बैठक दैनिक नोटिस से अस्थगित की जाती है, उस स्थगित बैठक की सूचना नगर, कस्बे या अन्य स्थान पर उपलब्ध सदस्यों को दी जाएगी, जहां बैठक, जो अस्थगित हुई है, यदि हुई है, या तो फोन से या विशेष संदेश वाहक द्वारा दी जाएगी और स्थगित बैठक की सूचना अन्य सदस्यों को देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ग) जहां राज्य समन्वय समिति की बैठक उसी दिन के लिये अस्थगित नहीं होती, जिस तारीख को बैठक अन्य तारीख को होनी हो, उस तारीख से ऐसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी जैसा कि नियम 11 के उप-नियम (4) में यथा उपबंधित है।

13. **पीठासीन अधिकारी.**—अध्यक्ष, राज्य समन्वय समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित है तथा उसकी अनुपस्थिति में सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये सदस्यों में से किसी एक का चुनाव करेंगे ।

14. **कोरम.**—(1) कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग किसी भी बैठक के लिये कोरम बनायेगा ।

(2) यदि किसी बैठक के लिए निश्चित किसी समय में अथवा कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य होने पर बैठक के दौरान अध्यक्ष ऐसी बैठक को, जैसा वह उचित समझे, आगामी तारीख को या भविष्य में किसी अन्य तारीख के लिए अस्थगित कर सकता है।

(3) अस्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा ।

(4) कोई भी मामला, जो मूल बैठक के एजेंडे में सम्मिलित नहीं था, उसकी ऐसे बैठक में चर्चा नहीं की जायेगी ।

(5) (क) जहां अगले दिन के लिए कोरम के अभाव में उप-नियम (2) के अधीन राज्य समन्वय समिति की बैठक अस्थगित की गई है, ऐसी अस्थगित बैठक की सूचना शहर, नगर अथवा अन्य स्थान में उपलब्ध सदस्यों को दी जायेगी, जहां अस्थगित बैठक आयोजित की जानी है जिसकी सूचना दूरभाष अथवा विशेष संदेश वाहक के द्वारा दी जायेगी तथा अस्थगित बैठक की सूचना अन्य सदस्यों को दी जानी आवश्यक नहीं होगी ।

(ख) जहां अगले दिन के लिए कोरम के अभाव में उप-नियम (2) के अधीन राज्य समन्वय समिति की बैठक अस्थगित नहीं की जाती, वहां पर्याप्त अन्तराल सहित ऐसे बैठक की सूचना नियम 11 के उप-नियम (4) में यथा उपबंधित सभी सदस्यों को दी जायेगी ।

15. **कार्यवृत्त.**—(1) उन सदस्यों के नाम अभिलेख में रखे जायेंगे, जो बैठक में उपस्थित हुए तथा सदस्य सचिव उस उद्देश्य के लिए रखी गई पुस्तिका में बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया जायेगा ।

(2) पिछली बैठक के कार्यवृत्त प्रत्येक परवर्ती बैठक के प्रारंभ में पढ़ी जायेगी, उसकी पुष्टि की जायेगी तथा उस बैठक में उपस्थित पीठासीन अधिकारी द्वारा उसमें हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(3) बैठक की कार्रवाई कार्यालय समय के दौरान सदस्य-सचिव के कार्यालय में किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण हेतु रखी जायेगी ।

16. **राज्य समन्वय समिति की बैठकों से अनुपस्थिति.**—यदि राज्य समन्वय समिति का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो राज्य समन्वय समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

17. **बैठक में अनुशासन बनाए रखना.**—पीठासीन अधिकारी बैठक में अनुशासन बनाए रखेंगे ।

18. **बैठक में किए जाने वाले कार्य संव्यवहार.**—पीठासीन अधिकारी की अनुमति में सिवाय कोई भी कार्य, जो एजेण्डा में दर्ज नहीं किया गया है, या नियम 11 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उसका किसी बैठक में कार्य संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

19. (1) किसी बैठक में कार्य उस क्रम के अनुसार तब तक किया जाएगा जिस क्रम में यह एजेण्डा में दर्ज है, जब तक अध्यक्ष की अनुमति से अन्यथा बैठक में कृत-संकल्प न किया गया हो ।

20. **बहुमत का निर्णय.**—राज्य समन्वय समिति की किसी बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान से निर्णित होंगे और अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहा सदस्य, जैसा भी स्थिति हो, का निर्णायक मत होगा ।

21. **रिक्ति या किसी त्रुटि के कारण कोई भी कार्रवाई अवैध नहीं होगी.**—राज्य समन्वय समिति की कोई भी कार्रवाई किसी रिक्ति के होने या समिति के गठन में किसी प्रकार की त्रुटि के आधार पर ही अवैध नहीं होगी ।",

(iv) नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**36. रिक्तियों की गणना.**—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के लिए समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पदों में रिक्तियों की गणना के प्रयोजनार्थ रिक्तियों की गणना वही होगी, जो इस सम्बन्ध में अनुदेश/परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचना से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित होगी ।",

(v) **नियम 42 के बाद निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—**

"**42(क) पात्रता.**—पिछले तीन वर्ष से भिन्न-भिन्न प्रकार के नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत किसी संगठन/सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं ।",

(vi) **नियम 48 के उपरान्त निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किया जाएंगे, अर्थात् :—**

"**48.(क) अशक्तता सहित व्यक्तियों के लिये उपायुक्त और सहायक आयुक्त की नियुक्ति.**—अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आयुक्त की सहायतार्थ सरकार उपायुक्तों, सहायक आयुक्त, परामर्शदाताओं और अन्य सहायक स्टाफ की नियुक्ति करेगी ।

"**48. (ख)(i) शैक्षिक योग्यता.**—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजकार्य/समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर ।

(ii) अनुभव.—समाज कल्याण कार्य में कम से कम सात वर्ष का अनुभव ।",

(vii) **नियम 50 के लिये निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—**

"**50. आयुक्त की नियुक्ति के लिये योग्यता.**—आयुक्त की नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(i) उसे विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के विषय में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए ।

(ii) उसकी आयु नियम 50 (क) के उप-नियम (1) के अन्तर्गत जारी विज्ञापन में यथोलिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि वाले वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष नहीं होनी चाहिए ।

(iii) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है, तो वह इस पद पर नियुक्ति से पहले इससे सेवानिवृत्ति ले लेगा, तथा

(iv) उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव होना चाहिए, अर्थात् :—

(क) शैक्षिक योग्यता.—

(i) अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

(ii) वांछनीय : समाज कार्य/समाजशास्त्र में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि ।

(ख) अनुभव.—निम्नलिखित प्रकार के एक या अधिक संगठनों में विनिर्दिष्ट स्तर पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो —

(क) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकाय में ग्रुप 'ए' स्तर के पद में विकलांगता तथा/या सामाजिक क्षेत्र समाज कल्याण/स्वास्थ्य/शिक्षा/गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास संबंधी विषयों में कार्य करने वाले विभाग में अनुभव, या

(ख) विकलांगता/सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारी, या

(ग) किसी प्रसिद्ध निजी क्षेत्र के सामाजिक कार्यों से जुड़े संगठन में वरिष्ठ कार्यकारी पद तथा संस्थान में सामाजिक विकास कार्य को संभालने वाला प्रभारी :

उपबंध है कि उपरोक्त कुल दस वर्ष के अनुभव में से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में होना चाहिए ।

50. (क) आयुक्त के पद पर नियुक्ति का तरीका.—(1) आयुक्त के पद के रिक्त होने से लगभग छ: माह पूर्व अंग्रेजी तथा हिन्दी के कम से कम दो-दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे जिसमें नियम 50 में उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों से पद के लिये आवेदन मांगे जायेंगे ।

(2) आयुक्त के पद के तीन उपयुक्त प्रत्याशियों के पैनल में रखने के लिये एक खोज एवं चयन समिति का गठन किया जाएगा ।

(3) समिति का संघटन समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी संबंधित निर्देशों के अनुसार होगा ।

(4) समिति द्वारा संस्तुत पैनल में वही व्यक्ति होंगे, जिन्होंने उक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किया था ।

(5) राज्य सरकार खोज एवं चयन समिति द्वारा संस्तुत प्रत्याशी को आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी ।

50. (ख) आयुक्त की कार्य-अवधि.—1. आयुक्त की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर उसके पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

2. कोई व्यक्ति आयुक्त के रूप में अधिकतम दो कार्य अवधियों तक सेवा कर सकता है, परन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।

50. (ग) आयुक्त के वेतन एवं भत्ते.—1. आयुक्त के वेतन एवं भत्ते वही होंगे, जो दिल्ली सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य है।

2. यदि आयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या किसी संस्थान या सरकार द्वारा निधिबद्ध स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और वह पिछली सेवा की पेंशन प्राप्त करता है, तो इस नियमावली में उसको स्वीकार्य वेतन में से पेंशन की राशि घटा दी जायेगी और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले में राशि प्राप्त की है, तो पेंशन के परिवर्तित भाग की राशि में से उसका परिवर्तित भाग घटा दिया जायेगा।

50. (घ) आयुक्त की अन्य सेवा शर्तें.—(1) अवकाश—आयुक्त ऐसी छुट्टी के लिए पात्र होगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवकों के लिए अनुज्ञेय है।

(2) अवकाश यात्रा छूट

आयुक्त ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य अवकाश यात्रा छूट का पात्र होगा।

(3) चिकित्सा लाभ

आयुक्त दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए स्वीकार्य चिकित्सा लाभों का पात्र होगा ।

50. (ङ) मान्यता एवं बर्खास्तगी.—(1) आयुक्त राज्य सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद से हटा सकता है यदि वह—

(क) अनोन्मोचित दिवालिया हो जाता है ।

(ख) अपने पद पर कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों से बाहर किसी आमदनी वाले रोजगार में संलग्न होता है ।

(ग) किसी ऐसे अपराध में सिद्ध दोषी तथा जेल जाता है जो राज्य सरकार के दायरे में नैतिक दुराचार का मामला है ।

(घ) राज्य सरकार के दायरे में अपने पद पर अपने मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण या कार्य करने में सक्षम नहीं है या अधिनियम में उल्लिखित पद के प्रकार्यों के निष्पादन में गम्भीर त्रुटि करता है ।

(ङ.) राज्य सरकार से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिये बिना लगातार पन्द्रह दिन या अधिक अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, या

(च) उसने, राज्य सरकार की राय में, आयुक्त के पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना विकलांग व्यक्तियों के हित के विपरीत होगा :

उपबंध है कि इस नियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आवश्यक परिवर्तन सहित उस प्रक्रिया के अनुसरण के बिना नहीं हटाया जायेगा, जो केन्द्र सरकार के ग्रुप 'ए' कर्मचारियों को हटाने के लिये निर्धारित है ।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे आयुक्त को निलंबित कर सकती है जिसके खिलाफ उप-नियम (2) के अनुसार बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ऐसी कार्रवाई का परिणाम आना बाकी है ।

50. (च) शेष प्रावधान.—आयुक्त की उन सेवा शर्तों के प्रावधान जिनके लिये इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है दिल्ली सरकार के सचिव पर तत्समय लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सुनिश्चित होंगे।'',

(viii) प्रपत्र-v, के उपरान्त निम्नलिखित प्रपत्र सन्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

''प्रपत्र-VI'' नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा नि:शक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन।

''प्रपत्र-VII'' नि:शक्तता प्रमाणपत्र (अंगोच्छेदन या अंगों की पूरी स्थाई अंगघात और अंधापन की दशा में) (प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

''प्रपत्र-VIII'' नि:शक्तता प्रमाणपत्र (बहु नि:शक्तता की दशा में) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

'' प्रपत्र-IX'' नि:शक्तता प्रमाणपत्र (प्ररूप VII और प्ररूप VIII में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

''प्रपत्र-X'' नि:शक्तता प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकृत करने की सूचना ।

प्रपत्र-VI

नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा नि:शक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

(नियम 3 देखिए)

1. नाम.................................. ....
   (उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)

2. पिता का नाम.. माता का नाम..

3. जन्म की तारीख.............................. / ------------------------------ / --------------------
   (तारीख) (मास) (वर्ष)

4. आवेदन की तारीख को आयु..वर्ष

5. लिंग : पुरुष/महिला

6. पता :

(क) स्थाई पता

....

....

(ख) वर्तमान पता (पत्राचार आदि के लिए)

....

....

(ग) वर्तमान पते पर कब से रह रहे/रहीं हैं।

पता..

7. शैक्षिक स्थिति (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
   (i) स्नातकोत्तर
   (ii) स्नातक
   (iii) डिप्लोमा
   (iv) हायर सैकण्डरी
   (v) हाईस्कूल
   (vi) मिडिल
   (vii) प्राईमरी
   (viii) अनपढ़

8. व्यवसाय..

9. पहचान के चिन्ह (1) ....(2)...

10. नि:शक्तता की प्रकृति : चलन/श्रवण/दृश्य/मानसिक/अन्य

11. अवधि जब से नि:शक्तता आई : जन्म/वर्ष से..

12. क्या आपने पूर्व में नि:शक्तता प्रमाणपत्र के लिए कभी आवेदन किया है —
    (i) हां/नहीं
    (ii) यदि हां, तो ब्यौरे/
       (क) किस प्राधिकारी को और किस जिले में आवेदन किया गया...
       (ख) आवेदन का परिणाम..

13. क्या पूर्व में आपको कोई नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है यदि हां, तो कृपया सही प्रति संलग्न करें ।

घोषणा : मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त कथित सभी विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई भी तात्विक जानकारी छुपाई या मिथ्या कथन नहीं बताई गई है। मैं आगे यह भी कथन करता/करती हूं कि यदि आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो मैं लिए गए किसी भी प्रकार के लाभ समपहरण और विधि के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी ।

....

नि:शक्त व्यक्ति या मानसिक मंदता, ऑटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु नि:शक्तता में उसके/उसकी विधिक संगरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान

तारीख :

स्थान :

संलग्न :

1. निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
   - (क) राशन कार्ड
   - (ख) मतदाता पहचान पत्र
   - (ग) ड्राइविंग लाइसेंस
   - (घ) बैंक पासबुक
   - (ड.) पैन कार्ड
   - (च) पासपोर्ट
   - (छ) आवेदक के पते को उपदर्शित करता टेलिफोन, बिजली, पानी और कोई अन्य उपयोगिता संबंधी बिल
   - (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र
   - (झ) नि:शक्त व्यक्ति, [illegible] से निवास का प्रमाणपत्र
2. हाल ही के दो पासपोर्ट आकार के फोटो

....

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख : जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : मोहर

प्रपत्र-VII

नि:शक्तता प्रमाणपत्र

(अंगोच्छेदन या अंगों की पूरी स्थाई अंगघात और अंधापन की दशा में)

(नियम 4 देखिए)

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हो)

प्रमाण-पत्र संख्या : तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री..........................

जन्म की तारीख.......................... आयु.......................... वर्ष..........................

(तारीख/मास/वर्ष)

पुरुष/महिला............................रजिस्ट्रेशन नं. ....मकान नं. ....
वार्ड/गाँव/गली............................डाकघर............................जिला............................
राज्य............................का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) यह मामला

- चलन संबंधी नि:शक्तता
- नेत्रहीनता का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर ठीक का निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान............................है ।

(ग) उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में .... %(अंक में) ....प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता है।

2. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी होना है।

प्ररूप-VIII

प्रमाणपत्र

नि:शक्तता प्रमाणपत्र

(बहु नि:शक्तता की दशा में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखिए)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हो)

प्रमाण-पत्र संख्या : तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमार............................पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री............................

जन्म की तारीख.......................................आयु...वर्ष...
(तारीख/मास/वर्ष)

पुरुष/महिला..रजिस्ट्रेशन नं...मकान नं...
वार्ड/गाँव/गली...डाकघर...जिला...

राज्य...का स्थाई निवासी जिनकी फोटो उपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और हम संतुष्ट हैं कि

(क) यह मामला बहु नि:शक्तता के लिए है/उनकी स्थाई शारीरिक क्षति/नि:शक्तता को निम्नलिखित नि:शक्तताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में नि:शक्तता के सामने दर्शाया गया है।

क्रम सं.	नि:शक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक नि:शक्तता/मानसिक नि:शक्तता (% में)
1.	चलन संबंधी नि:शक्तता	@		
2.	कम दृष्टि	#		
3.	दृष्टिहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण क्षति	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक रुग्णता	X		

(उपरोक्त के मद्देनजर उनकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धान्तों (निर्दिष्ट किया गया है) के अनुसार इस प्रकार है :—

अंकों में..प्रतिशत

शब्दों में ....प्रतिशत

2. यह स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील/इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार न होने की संभावना है ।

3. नि:शक्तता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) ....वर्ष.......................................मास के पश्चात् सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाण-पत्र...तक...विधिमान्य रहेगा ।
(तारीख/मास/वर्ष)

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं /पैर

\# अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रूप में निम्न दसतावेज प्रस्तुत किए हैं:—

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर   सदस्य का नाम और मोहर   अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी होना है ।

प्रपत्र-IX

निःशक्तता प्रमाणपत्र

(प्रारूप VII और प्रारूप VIII में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखिए)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हो)

प्रमाण पत्र संख्या :   तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..................................पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री..................

जन्म की तारीख..............................आयु..............................वर्ष..............................

(तारीख/मास/वर्ष)

पुरुष/महिला..............................रजिस्ट्रेशन नं..............................मकान नं..............................

वार्ड/गाँव/....................गली....................डाकघर....................|....................जिला..............................

राज्य..............................का स्थाई निवासी जिसकी फोटो ऊपर लगी है, तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि यह .... निःशक्तता का मामला है। इसकी शारीरिक क्षति/निःशक्तता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार (विनिर्दिष्ट किया जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी में निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :—

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक निःशक्तता/ मानसिक निःशक्तता (%में)
1.	चलन संबंधी निःशक्तता	@		
2.	कम दृष्टि	#		
3.	दृष्टिहीनता	दोनों आंखें		
4.	श्रवण क्षति	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक रुग्णता	X		

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

2. उपरोक्त स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील है इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार [illegible]

3. निःशक्तता का पुनर्मूल्यांकन की :—

   (i) आवश्यक नहीं है,

   या

(ii) ....वर्ष..........................मास के पश्चात् सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र..............
..........................तक..........................विधिमान्य रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं /पैर

अर्थात् एक आंख/दोनों आंखें

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रुप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी
के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम और मोहर)

प्रति हस्ताक्षर

(चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी
सेवक नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की
दशा में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा
अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रधान का
प्रतिहस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे
की छाप जिसके
पक्ष में नि:शक्तता
प्रमाणपत्र जारी
होना है

टिप्पणी:—यदि यह प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवा में नहीं है, के द्वारा जारी किया जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

प्रपत्र-X

नि:शक्तता प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकृत करने की सूचना

(नियम 4 देखिए)

सं. .... तारीख :

सेवा में,

(नि:शक्तता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
करने वाले का नाम और पता)

विषय : नि:शक्तता प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार करना।

महोदय/महोदया,

कृपया निम्नलिखित नि:शक्तता के लिए नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तारीख..
के अपने आवेदन के संदर्भ में..

2. उपरोक्त आवेदन के अनुसरण में, आपकी जांच अधोहस्ताक्षरी/मेडिकल बोर्ड द्वारा तारीख ....को की गई और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारण से आपके पक्ष में निःशक्तता प्रमाणत्र जारी करना संभव नहीं है:—

(i)

(ii)

(iii)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से व्यथित हैं तो आप .... को इस विनिश्चय की समीक्षा करने के लिए अभ्यावेदन कर सकते हैं ।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम और मोहर)

No. F. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/3176-3186.—In exercise of the powers conferred by Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 824(E), dated the 5th December, 1997, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2001, namely :—

"CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2001.—

(i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"**2. Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

(b) "Chairperson" means a Chairperson appointed under the Act.

(c) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi.

(d) "Government" means the Lt. Governor as referred in article 239 AA of the Constitution.

(e) "Lt. Governor" means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution.

(f) "Member" means a Member appointed under the Act.

(g) "Member-Secretary" means a Member-Secretary appointed under the Act.

(h) "Notification" means a notification published in the Official Gazette.

(i) "Prescribed" means prescribed by rules.

(j) "Rules" means the rules made under the Act.

(k) "Section" means a section of the Act.

(l) "Special employment exchange" means special employment exchange, special cell in normal employment exchange and such employment exchange, as is notified special employment exchange by notification in the Official Gazette.

(m) "Vice-Chairperson" means a Vice-Chairperson appointed under the Act.

(n) "Year" means the financial year commencing on the first day of April.

(o) "Certificate" or "Disability Certificate" means a certificate issued in pursuance of clause (t) of Section 2 of the Act.

(p) "Multiple Disabilities" means a combination of two or more disabilities as defined in clause (i) of

COORDINATION COMMITTEE

Section 2 of the Act.

(q) "Form" means a form appended to these rules.

(2) Words and expressions defined in the Act but not defined in these rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.",

(ii) for Chapter II, the following Chapter shall be substituted, namely :—

"CHAPTER II

DISABILITY CERTIFICATE

3. Application for issue of Disability Certificate.—

(1) A Person with Disability and desirous of getting a certificate in his favour will submit an application in Form VI, and the application shall be accompanied by —

(a) Proof of residence, and

(b) Two recent passport size photographs.

(2) The application shall be submitted to —

(i) a medical authority competent to issue such a certificate in the name of the applicant with his residence as mentioned in the proof of residence submitted by him with the application, or

(ii) the concerned medical authority in a Government hospital in which they may be undergoing or may have undergone treatment in connection with disability :

Provided that, where a person with disability is a minor or suffering from mental retardation or any other disability which renders him unfit or unable to make such an application himself, application on his behalf may be made by his legal guardian.

4. Issue of Disability Certificate.—

(1) On receipt of an application under rule 3, the medical authority shall, after satisfying himself that the applicant is a person with disability as defined in clause (t) of Section 2 of the Act, issue a disability certificate in his favour in Form VII, Form VIII or Form IX as applicable.

(2) The disability certificate shall be issued as far as possible, within a week from the date of receipt of the application by the medical authority, but in any case, not later than one month from such date.

(3) The medical authority shall, after due examination, —

(i) give a permanent disability certificate in cases where there are no chances of variation, over time, in the degree of disability, and

(ii) shall indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation, over time, in the degree of disability.

(4) If an applicant is found ineligible for issue of disability certificate, the medical authority shall explain to him the reasons for rejection of his application, and shall also convey the reasons to him in writing in Form X.

(5) A copy of every disability certificate issued under these rules by a medical authority other than the Chief Medical Officer shall be simultaneously sent by such medical authority to the Chief Medical Officer of the District.

5. Review of a decision regarding issue of, or refusal to issue, a disability certificate.—

(1) Any applicant for a disability certificate, who is aggrieved by the nature of a certificate issued to him, or by refusal to issue such a certificate in his favour, as the case may be, represent against such a decision to the medical authority as specified for the purpose by the appropriate Government:

Provided that where a person with disability is a minor or suffering from mental retardation or any other disability which renders him unfit and unable to make such an application himself, the application on his behalf may be made by his legal guardian.

(2) The application for review shall be accompanied by a copy of the certificate or letter of rejection being appealed against.

(3) On receipt of an application for review, the medical authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such orders on it as it may deem appropriate.

(4) An application for review shall, as far as possible, be disposed of within fortnight from the date of its

receipt, but in any case, not later than a month from such date.

6. Certificate issued under rule 4 to be generally valid for all purposes.—A certificate issued under rule 4 shall render a person eligible to apply for facilities, concessions and benefits admissible under schemes of the Government and of Non-Government Organizations funded by the Government, subject to such conditions as may be specified in relevant schemes or instructions of Government, etc., as the case may be.",

(iii) for Chapter III, the following rules shall be inserted, namely :—

CHAPTER III

The State Coordination Committee

7. **Tenure for the nominated members.**—A member of the State Coordination Committee nominated under clauses (f) & (h) of sub-section (2) of section 13 of the Act, shall hold the office for three years from the date of notification.

8. **Membership Roll.**—The Member-Secretary shall keep a record of names of members and their address.

9. **Change of Address.**—If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary who shall thereupon enter his new address, in the official records but if he fails to notify his new address, the address in the official records shall, for all purposes, be deemed to be member's correct address.

10. **Daily Allowances.**—Non-official members of the State Coordination Committees shall be paid allowance of two hundred rupees for each day of the actual meetings of the State Coordination Committee.

11. **Notice of meetings.**—

(1) The meetings of the State Coordination Committee shall ordinarily be held at the office of Chairperson on such dates as may be fixed by the Chairperson :

Provided that it shall meet, at least, once in every six months.

(2) The Chairperson shall, upon the written request of not less than ten members of the State Coordination Committee, call a special meeting of the State Coordination Committee.

(3) Fifteen clear days' notice of an ordinary meeting and five clear days' notice of a special meeting specifying the time and the place at which such meeting is to be held and the business to be transacted thereat shall be given by the Member-Secretary to the members.

(4) Notice of a meeting may be given to the members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Chairperson may, in the circumstances of the case, thinks fit.

(5) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of the meeting any matter of which he has not given ten clear days' notice to the Member-Secretary, unless the Chairperson, in his discretion, permits him to do so.

12. **Adjournment of meetings of State Coordination Committee.**—

(a) The State Coordination Committee may adjourn its meetings from day to day or to any particular day.

(b) Where a meeting of the State Coordination Committee is adjourned from day to day notice of such adjourned meeting shall be given to the members available in the city, town or other place where the meeting which is adjourned if held, either by telephone or by special messenger and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to the other members.

(c) Where a meeting of the State Coordination Committee is adjourned not from day to day but from the day on which the meeting is to be held to another date, notice of such meeting shall be given to all the members as provided in sub-rule (4) of rule 11.

13. **Presiding Officer.**—The Chairperson shall preside at every meeting of the State Coordination Committee at which he is present, and in his absence, the members shall elect one of the members to preside at that meeting.

14. **Quorum.**—

(1) One-third of the total members shall form the quorum for any meeting.

(2) If at any time fixed for any meeting or during the course of any meeting less than one-third of the total members are present the Chairperson may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other future date as he may fix.

(3) No quorum shall be necessary for the adjourned meeting.

(4) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at such adjourned

meeting.

(5) (a) Where a meeting of the State Coordination Committee is adjourned under sub-rule (2) for want of quorum to the following day, notice of such adjourned meeting shall be given to the members available in the city, town or other place where the meeting which is adjourned is held, either by telephone or by special messenger and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to other members.

(b) Where a meeting of the State Coordination Committee is adjourned under sub-rule 2 for want of quorum not to the following date with sufficient gap, notice of such adjourned meeting shall be given to all the members as provided in sub-rule (4) of rule 11.

15. **Minutes.—**

(1) Record shall be kept of the names of members who attend the Meeting and of the proceedings at the meeting in a book to be maintained for that purpose by the Member-Secretary.

(2) The minutes of the previously meeting shall be read at the beginning of the every succeeding meeting, shall be confirmed and signed by the presiding officer at such meeting.

(3) The proceedings shall be open to inspection by any member at the office of the Member-Secretary during office hours.

16. **Absence from meetings of State Coordination Committee.**—Any member of the State Coordination Committee absenting himself from three consecutive meetings without leave of the Chairperson shall cease to be a member of the State Coordination Committee.

17. **Maintaining order at meeting.**—The presiding officer shall maintain order at the meeting.

18. **Business to be transacted at meeting.**—Except with the permission of the presiding officer, no business which is not entered in the agenda or of which notice has not been given by a member under sub-rule (5) of rule 11, shall, be transacted at any meeting.

19. (1) At any meeting business shall be transacted in the order in which it is entered in the agenda, unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the Chair.

20. **Decision by majority.**—All questions considered at a meeting of the State Coordination Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in the absence of Chairperson, the member presiding at the meeting, as the case may be shall have casting vote.

21. **No proceeding to be invalid due to vacancy or any defect.**— No proceeding of the State Coordination Committee shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy or any defect in the Constitution of the Committee.",

(iv) for rule 36, the following rule shall be substituted, namely :—

"36. **Computation of vacancies.**—For the purpose of computation of vacancies for Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 in Group A, B, C and D posts, the computation of vacancies shall be such as may be determined by Central Government through instruction/circular/office memorandum/ notification in this regard.",

(vi) after rule 42, the following rule shall be inserted, namely :—

"42(A). **Eligibility.**— An Organization/Public Trust working in the field of welfare of differently abled persons for the last three years can apply for registration under the Act.",

(vi) after rule 48, the following rules shall be inserted, namely :—

"48(A). **Appointment of Deputy Commissioner and Assistant Commissioner for Persons with Disabilities.**— To assist the Commissioner to discharge various functions under the Act, the Government shall appoint Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Consultants and other supporting staff.

48(B) (i) **Educational Qualification.**—Post graduate degree in Social Work/Sociology from a recognized university.

(ii) **Experience.**—Should have at least seven years experience in social welfare.",

(vii) for rule 50, the following rules shall be substituted, namely :—

"50. **Qualification for appointment of Commissioner.**—In order to be eligible for the appointment of Commissioner, a person must satisfy the following conditions, namely :—

(i) He/She should have special knowledge or practical experience in respect of matters related to rehabilitation of persons with disabilities.

(ii) He/She should not have attained the age of 60 years on the 1st January of the year in which the last date of receipt of applications, as specify in the advertisement issue under sub rule (1) of rule 50 (A), falls,

(iii) If he/she is in a service under the Central Government or State Government, he /she shall seek retirement from such service before his/her appointment to the post, and

(iv) He/She must possess the following educational qualification and experience namely—

(A). **Educational Qualification.—**

(i) Essential : Graduate from a recognized university.

(ii) Desirable : Recognized Masters degree in Social Work/Sociology

(B). **Experience.**—Should have at least 10 years of experience in one or more of the following types of organization at specified levels—

(a) In a Group 'A' level post in central/state Govt./public sector undertaking/semi-Govt. or autonomous bodies dealing with disability related matters and/or social sector (Social welfare/health/education/poverty alleviation/women and child development) , or

(b) A senior level functionary in a registered national or international level voluntary organization working in the field of disability/social development, or

(c) Senior Executive position in a leading private sector organization in social work and in charge of handling social development task in the organization :

Provided that out of the total ten years of experience mentioned above, he/she should have at least five years of experience in the field of empowerment of persons with disabilities.

50(A). **Mode of appointment of the Commissioner.—**

(1) About six months before the post of the commissioner is about to vacant, an advertisement shall be published in at least two national dailies each in English and Hindi inviting application for the post from eligible candidates fulfilling the criteria mentioned in rule 50.

(2) A Search-cum-Selection Committee shall be constituted to record the panel of three suitable candidates for the post of Commissioner.

(3) Composition of the committee will be governed by relevant instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

(4) The panel recommended by the committee may consist of persons amongst those who have applied in response to the advertisement mentioned in sub-rule (1) above.

(5) The State Government shall appoint one of the candidates recommended by search-cum-selection committee as a commissioner.

50(B). **Terms of the Commissioner.—**

(1) The Commissioner shall be appointed on full-time basis for a period of three years from the date on which he/she resumes office or till he/she attain the age of 65 years, whichever is earlier.

(2) A person may serve as a Commissioner for a maximum of two terms, subject to the upper age limit of 65 years.

50(C). **Salary and allowances of the Commissioner.**—(1) The salary and the allowances of the Commissioner shall be the salary and allowance as admissible to Secretary of the Government of NCT of Delhi.

(2) Where a Commissioner, being a retired Government Servant or a retired employee of any institution or autonomous body funded by the Government, is in receipt of pension in respect of such previous service, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of the pension, and if he/she had received in lieu of the portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of such commuted portion of the pension.

50(D). **Other terms and conditions of service of the Commissioner.—**

(1) **Leave**

The Commissioner shall be entitled to such leave as is admissible to Government servants under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

Annexure 'B'

(2) Leave Travel Concession

The Commissioner shall be entitled to such leave travel concession as is admissible to Group' A' Officers.

(3) Medical benefits

The Commissioner shall be entitled to such medical benefits as is admissible to Group' A' Officers under Delhi Government Employee Health Scheme (DGEHS).

50(E). **Recognition and Removal.—**

(1) The Commissioner may, by notice in writing, address to State Government, resign from his/her post.

(2) The State Government shall remove a person from the office of the Commissioner if he/she —

(a) becomes undercharged insolvent,

(b) engages during his/her term of office in any paid employment of outside the duties of his/her office.

(c) gets convicted and sentenced to imprisonment for an office which is in opinion of State Government involves moral turpitude

(d) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office, reason of infirmity of mind or body or serious default in the performance office functions as laid down in the Act,

(e) without obtaining leave of absence from the State Government, remains absent from duty for a consecutive period of fifteen days or more, or

(f) has, in the opinion of State Government, so abused the position of the Commissioner as to render his continuance in office detrimental to the interest of persons with disability :

Provided that no person shall be removed under this rule except after following the procedure, mutatis mutandis, prescribed for removal of a Group "A" employee of the Central Government.

(3) The State Government may suspend a Commissioner, in respect of whom proceedings for removal have been commenced in accordance with sub-rule (2), pending conclusion of such proceedings.

50(F). **Residuary Provision.—**Conditions of service of a Commissioner in respect of which no express provision has been made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of NCT of Delhi.",

(viii) after Form-V, the following forms shall be inserted namely :—"Forms VI to X"

"FORM-VI" Application For Obtaining Disability Certificate By Persons With Disabilities.

"Form-VII" Disability Certificate (In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in case of blindness).

"Form-VIII" Disability Certificate (In case of multiple disabilities) (NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE).

"Form-IX" Disability Certificate (In case other than those mentioned in Forms VII & VIII) (NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE).

"Form-X" Intimation of Rejection of Application for Disability Certificate.

"FORM-VI"

Application For Obtaining Disability Certificate By Persons With Disabilities

(See Rule 3)

1. Name ....
   (Surname) (First name) (Middle name)
2. Father's name :........................ Mother's name ....
3. Date of Birth : .... / .... / ....
   (date) (month) (year)
4. Age at the time of application : .... years
5. Sex : Male/Female

6. Address :

(a) Permanent Address

....

....

....

(b) Current Address (i.e for communication)

....

....

....

7. Educational Status (Pl. tick as applicable)

(I) Post Graduate
(II) Graduate
(III) Diploma
(IV) Higher Secondary
(V) High School
(VI) Middle
(VII) Primary
(VIII) Illiterate

8. Occupation : ....

9. Identification marks (i) .... (ii) ....

10. Nature of disability : locomotor/hearing/visual/mental/others

11. Period since when disabled : From Birth/Since year

12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past— Yes/No.

(ii) If yes, details :

(a) Authority to whom and district in which applied

(b) Result of application

13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration : I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further, state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefit derived and other action as per law.

(Signature or left thumb impression of persons with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with mental retardation, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)

Date :

Place :

1. Proof of residence (Please tick as applicable)

(a) ration card,
(b) voter identity,
(c) driving license,
(d) bank passbook,
(e) PAN card,
(f) passport,
(g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
(h) a certificate of residence issued by a panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Govt. School,
(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill etc., a certificate of residence from the head of such institution.

2. Two recent passport size photographs.

(For Office use only)

Date :

Place :

Signature of issuing authority

Stamp

Annexure 'B'

Form-VII

Disability Certificate

(In case of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in case of blindness)

(See Rule 4)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP Size Attested Photograph (showing face only) of the persons with disability

Certificate No. Date :

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum .... son/wife/daughter of Shri .... Date of Birth ..../....................../ (DD/MM/YY)

Age.. years, male/female ....

Registration No. .... Permanent resident of House No. ....

ward/village/street...Post office. ....

District .... State. ....

Whose photograph is affixed above, and am satisfied that :

(A) he/she is a case of :

- locomotor disability
- Blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is ....

(C) He/She has .... %(in figure) .... per cent (in words) permanent physical impairment/blindness in relation to his her..(part of body) as per guidelines (to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence :—

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

(Signature and seal of Authorised Signatory or notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the persons in whose favour disability certificate is issued.

"Form-VIII"

Disability Certificate

(In case of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

(See Rule 4)

Recent PP Size Attested Photograph (showing face only) of the persons with disability

Certificate No. Date :

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum ....son/ wife/daughter of Shri .... Date of Birth ..../........../..........
(DD/MM/YY)

Age........................ years, male/female ....

Registration No. .... Permanent resident of House No. ....

ward/village/Street .... Post Office........................

....

District .... State ....

Whose photograph is affixed above, and are satisfied that :

(A) He/She is a case of **Multiple Disability**. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below :

S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Low Vision	#		
3.	Blindness	Both Eyes		
4.	Hearing Impairment	£		
5.	Mental Retardation	X		
6.	Mental illness	X		

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (to be specified), is as follows :—

In figures :— .... per cent

In words :— .... per cent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till ....
(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/Right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

Annexure 'B'

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence :—

Nature of Document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of Medical Authority.

Name & seal of Member Name & seal of Member Name & seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the persons in whose favour disability certificate is issued.

"Form-IX"

Disability Certificate

(In case other than those mentioned in Forms VII & VIII)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

(See Rule 4)

Recent PP Size Attested Photograph (showing face only) of the persons with disability

Certificate No. Date :

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum ....son/ wife/daughter of Shri .... Date of Birth ..../....................../
. . . .

(DD/MM/YY)

Age.................................. years, male/female ....

Registration No. .... Permanent resident of House No. ....

ward/village/Street ....Post Office ....

District .... State ....

Whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ....
....

2010DG/11—4

Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below :—

S. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Low Vision	#		
3.	Blindness	Both Eyes		
4.	Hearing Impairment	£		
5.	Mental Retardation	X		
6.	Mental illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till

....

(DD) (MM) (YY)

[illegible]

[illegible]

£ e.g. [illegible]

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence :—

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

[illegible] Authority)

[illegible] & Seal)

Countersigned

[illegible] and seal

[illegible]/Head of

[illegible] the certificate

is issued by [illegible] who is not a

government servant (with seal)]

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate issued

Note : In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District."

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 31st December, 1996.

"Form-X"

Intimation of Rejection of Application for Disability Certificate

(See rule 4)

No. .... Dated :

To

(Name and Address of the applicant for Disability Certificate)

Sub : Rejection of Application for Disability Certificate.

Sir/Madam,

Please refer to your application dated ....for issue of a Disability Certificate for the following disability :

1. Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/Medical Board on .... , and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a disability certificate in your favour :

(i)

(ii)

(iii)

2 In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent to .... requesting for review of this decision.

Yours faithfully

(Authorized Signatory of the notified Medical Authority)

(Name and Seal)

सं. फा. 82(265)/एडी-III/संशोधन अधिनियम पीडब्ल्यूडी/स.कल्या.वि./09/3187-3205.—इस कार्यालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008, की अधिसूचना सं. फा. 27/8/93-स्वा. एवं परि. कल्याण/18337-355 के आंशिक संशोधन में दिनांक 5 जनवरी, 2010, की अधिसूचना सं. फा. 27/8/93-स्वा. एवं परि. कल्याण/18337-355 के अधिक्रमण में तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के उप-खण्ड (त) के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार निम्न तालिका के कालम 2 में उल्लिखित निःशक्तता प्रकार के लिए तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अस्पतालों और संस्थाओं को 'चिकित्सा प्राधिकरण' के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं और इसके आगे निदेश देते हैं कि कॉलम 4 में यथावर्णित अस्पताल/संस्थान के चिकित्सा प्राधिकरण की ओर से निःशक्तता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

क्रम संख्या	निःशक्तता का प्रकार	कालम 2 में उल्लिखित निःशक्तता के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किए जा रहे अस्पताल/संस्थान	कॉलम 3 में वर्णित अस्पताल/संस्थान में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी, जो निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम है
1	2	3	4
1.	केवल अंगच्छेद (1) अंगों के पूर्ण स्थाई पक्षाघात (2) अन्धता	**नई दिल्ली जिला** लोक नायक अस्पताल **मध्य जिला** अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल **उत्तरी जिला** (i) हिन्दू राव अस्पताल (ii) सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)	सम्बद्ध विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ डॉक्टर

1	2	3	4
		उत्तर-पूर्व जिला गुरु तेग बहादुर अस्पताल **दक्षिणी जिला** पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल **पश्चिमी जिला** गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल **दक्षिण पश्चिमी जिला** (i) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल एवं (ii) राव तुला राम अस्पताल **पूर्वी दिल्ली** लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल **उत्तर पश्चिम दिल्ली** डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल	
2.		**नई दिल्ली जिला** लोक नायक अस्पताल **मध्य जिला** अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल **उत्तरी जिला** (i) हिन्दू राव अस्पताल (ii) सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) **उत्तर-पूर्व जिला** गुरु तेग बहादुर अस्पताल **दक्षिणी जिला** पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल **पश्चिमी जिला** गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल **दक्षिण-पश्चिमी जिला** (i) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल एवं (ii) राव तुला राम अस्पताल **पूर्वी दिल्ली** लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल **उत्तर पश्चिम दिल्ली** डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल	सम्बद्ध नि:शक्तता से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों का बहु सदस्यीय बोर्ड
3.	उक्त क्रम सं. 1 एवं 2 पर उल्लिखित (i) मानसिक रुग्णता/विकार	**दिल्ली के सभी जिले** मानव व्यवहार एवं सम्बद्ध आयुर्विज्ञान संस्थान	सम्बद्ध विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ डॉ. अर्थात् मनो-चिकित्सक न्यूरोलॉजी/न्यूरो सर्जरी
	(ii) न्यूरोलॉजीकल विकार/प्रमस्तिष्काघात आदि	**दिल्ली के सभी जिले** (i) मानव व्यवहार एवं सम्बद्ध आयुर्विज्ञान संस्थान (ii) गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल	

टिप्पण : यदि सम्बद्ध विशेषज्ञता का कोई पदनामित चिकित्सक छुट्टी पर है या उपस्थित नहीं है जिसे निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो सम्बन्धित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जो यथासंशोधित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), नियमावली, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निःशक्तता प्रमाण-पत्र के जारी करने को सुनिश्चित करेंगे।

F. No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act/DSW/09/ 3187-3205—In partial modification of office order No. F. 27/8/93-H & FW/20126-150 dated 5th January, 2010, in supersession of Notification No. F. 27/8/93-H & FW/ 18337-355 dated 29th August, 2008 and in pursuance of the provisions of clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby specifies, for the purpose of issue of certificates of disability as mentioned in clause (t) of Section 2, of the said Act, the hospitals and institutions mentioned in Column 3 of the Table given below, as 'medical authorities' for the type for disability mentioned in column 2 thereof, and further directs that the medical officers of the hospital/institution as mentioned in column 4 shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of the medical authority.

Sl. No.	Types of disability	Hospital/Institution which is being specified as the "Medical Authority" for the purpose of the disability mentioned in column no. 2	Medical officers working in the Hospital/Institution mentioned in column no. 3 who would be competent to issue certificate of disability
1	2	3	4
1.	(i) Locomotor disability by way only of amputation complete permanent paralysis of limbs, (ii) Blindness	**Distt. New Delhi** Lok Nayak Hospital **Distt. Central** Aruna Asaf Ali Government Hospital **Distt. North** (i) Hindu Rao Hospital, and (ii) Satyavadi Raja Harish Chander Hospital (for Rural Area) **Distt. North-East** Guru Teg Bahadur Hospital **Distt. South** Pt. Madan Mohan Malviya Hospital **Distt. West** Guru Gobind Singh Hospital **Distt. South-West** (i) Deen Dayal Upadhyay Hospital, and (ii) Rao Tula Ram Hospital (for Rural area) **Distt. East** Lal Bahadur Shastri Hospital **Distt. North-West** Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital	Single/specialist doctor of the concerned specialty.
2.	Multiple disabilities relating to Orthopaedics, Medicine, Eye and ENT.	**Distt. New Delhi** Lok Nayak Hospital **Distt. Central** Aruna Asaf Ali Government Hospital	Multi member board comprising specialist doctors pertaining to the concerned disabilities

1	2	3	4
		Distt. North (i) Hindu Rao Hospital, and (ii) Satyavadi Raja Harish Chander Hospital (for Rural Area) **Distt. North-East** Guru Teg Bahadur Hospital **Distt. South** Pt. Madan Mohan Malviya Hospital **Distt. West** Guru Gobind Singh Hospital **Distt. South-West** (i) Deen Dayal Upadhyay Hospital, and (ii) Rao Tula Ram Hospital (for Rural Area) **Distt. East** Lal Bahadur Shastri Hospital **Distt. North-West** Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital	
3.	Disabilities not mentioned at S. No. 1 and 2 above. (i) Mental illness/disorders (ii) Neurological disorders/ cerebral palsy etc.	**All Distts. of Delhi** Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) **All Distts. of Delhi** (i) Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS) (ii) [illegible]	Single specialist doctor of the concerned specialist (i.e. Psychiatry, Neurology, Neurosurgery)

Note : If a designated [illegible] authorized to issue disability certificate, is on leave or is not present, a suitable [illegible] arrangement will be made by the Medical Superintendent of the concerned hospital, who will [illegible] issuance of disability certificate within the time period specified in rule 4 of Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 as amended, time to time.

विकास विभाग

(कृषि विपणन निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मई, 2011

सं. फा. 8(37)/2009/डी.ए.एम./एम.आर./8915.—दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं :—

कृषक वर्ग

1. श्री एम. उमर (बप्पी) — सदस्य
   सुपुत्र स्व. हाजी एम. रफीक

2. हाजी मौहम्मद याकूब कुरैशी सुपुत्र स्व. श्री नाजर अली	:	सदस्य
3. श्री लालू राम सौनकर सुपुत्र श्री अमी चन्द (अनुसूचित जाति के आधार पर)	:	सदस्य

व्यापारी और आढ़ती वर्ग (चुने हुए)

1. हाजी मौ. इरफान कुरैशी 142, कटिया गोकल शाह, जामा मस्जिद, दिल्ली	:	सदस्य
2. श्री जुल्फीकार अहमद म. नं. 838, गली नं. 4, चौहान बांगर, दिल्ली-53	:	सदस्य

स्थानीय प्राधिकरण वर्ग

1. श्री शौअब दानिश, निगम पार्षद, वार्ड न. 205, जाकिर नगर, दिल्ली	:	सदस्य

माप व तौल वर्ग (चुना हुआ)

1. श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री नेपाल सिंह डी-49, पॉकेट-बी, मयूर विहार, फेस-2, दिल्ली-110091	:	सदस्य

दिल्ली विधानसभा सदस्य

1. श्री अमरीश सिंह गौतम, एम.एल.ए. (ए.सी.-56) कोंडली, दिल्ली	:	सदस्य

साधारण/उपभोक्ता हितकर वर्ग

1. चौ. रियासत अली सुपुत्र श्री शौकत अली	:	सदस्य
2. श्री सैयद इरफान मीर सुपुत्र स्व. श्री सैयद हासम मीर	:	सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
के उपराज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेश पर,
कैलाश चन्द्र, विशेष सचिव

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(Directorate of Agricultural Marketing)

NOTIFICATION

Delhi, the 31st May, 2011

No. F. 8(37)/2009/DAM/MR/8915.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Fish, Poultry and Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, namely :—

Agriculturists

1. Sh. M. Umar (Pappy) S/o Late Haji M. Rafiq	:	Member
2. Haji Mohd. Yaqub Qureshi, S/o Late Sh. Nazar Ali	:	Member
3. Sh. Lalu Ram Sonkar S/o Sh. Ami Chand (under SC category)	:	Member

Traders and Commission Agents (Elected Member)

1. Hazi Md. Irfan Qureshi 142, Katia Gokul Shah, Jama Masjid, Delhi	:	Member
2. Sh. Zulfiqar Ahmed H.No. 838, Gali No. 4, Chouhan Bangar, Delhi-53	:	Member

Representative of Local Authority

1. Sh. Shoaeb Danish, Municipal Councilor, Ward No. 205, Zakir Nagar, Delhi	:	Member

Licensed Weighmen and Measurers (Elected Member)

1. Sh. Ashwani Kumar S/o Sh. Naipal Singh D-49, Pocket-B, Mayur Vihar, Phase-II, Delhi-110091	:	Member

Delhi Legislative Assembly Member

1. Sh. Amrish Singh Gautam, MLA (AC-56) Kondli, Delhi	:	Member

General Consumer Interest

1. Ch. Raiyasat Ali S/o Sh. Shoukat Ali	:	Member
2. Sh. Syed Irfan Meer S/o Late Sh. Syed Hasham Meer.	:	Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the Official Gazette. They shall hold office for three years as provided under Section 41 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KAILASH CHANDRA, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.